



कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: ५८/भा०/५८०/२१८५-१५ - ५१७ दिनांक: १३.२.१६

प्रेषकः बी०सी० निगम, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना,
झारखण्ड, राँची।

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघुशीर्ष-070-संचार तथा भवन के अधीन "02- भवन" उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः— वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-18/2014-15 / 300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक — ७ / यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "02-भवन" उपशीर्ष के "43-अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण" इकाई में रु० 97,500/- (संतानबे हजार पाँच सौ रु०) की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-18/2014-15 / 300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक— ७ / यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-४-०५/९८ २५६१/वि० (२) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त ४-२३/२००३/ १८०० दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, हजारीबाग के कार्यालय पत्रांक-54, दिनांक— 25.01.2016 के आलोक में दिया जा रहा है। आवंटन किये जा रहे राशि का व्यय नियमानुसार किया जाय।
5. कार्य विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या— BWPBLD/02-15-16/10BLD की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु०—यथोः

विश्वासभाजन,

रु० /-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक ५१७

दिनांक १३.२.१६

प्रतिलिपि— Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

जारीकर्ता सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु नियमांकित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BWPBLD/02-15-16/10BLD

दिनांक -

11-Feb

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240601070020543 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 070 - संचार तथा भवन 02 - भवन 05 - निर्माण 43 - अनुरक्षण, संरक्षण एवं सुरक्षीकरण (सामग्री)	96025	DRNFWL073 KALYAN KUMAR CHATTERJEE ADDI.PCCF.WOKING PLAN.JHAKHAND	97,500.00 रुपये सित्तान्दे हजार पाँच से

97,500.00

योग:

रुपये सित्तान्दे हजार पाँच सौ

इनिक योग:


T. C. NIGAM
PCCF, JHARKHAND, INDIA

Principal Chief Conservator of Forests,
Jharkhand, Ranchi

Run Date: 11/2/2016

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत गैर-योजना मद के 02-भवन उपशीर्ष के अन्तर्गत
43-अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जिकरण इकाई में आवंटन।

उपशीर्ष का नाम	रीजन का नाम	को सं०	कार्य विवरणी	राशि रु० में
02-भवन	अ०प्र०म०व०स००, कार्य नियोजना, झारखंड, रांची	1	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, हजारीबाग के कार्यालय का टॉयलेट का मरम्मति एवं रिमोडलिंग कार्य हेतु।	97,500


प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची